तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ...... सटाड़ी पर दिनांक 28-6-18 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
28/6/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना [illegible] की ओर से [illegible] पेश किया। बहस [illegible] सुनी गई। वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 29.6.18 को पेश हो। [signature] SDO
29.6.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट लोक अदालत में पेश हुई। प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल हुई। [illegible] से [illegible] हो। [signature] SDO

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/392/15

बउनवान

1. सुनीता पुत्री कैलाश पोत्री रामसहाय पत्नी अमरचन्द जाति जाट
निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर

--- सायला

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी डयोठाना
तहसील कठूमर

3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री नीरज अवस्थी :- अधिवक्ता सायला

आदेश

दिनांक 29.06.2018

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरान 583, 584, 592, 593, किता 4 रकवा 3.45 हे. खसरा नम्बर 619 रकवा 1. 66 हे. ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में स्थित है। सायला गैरसायल सं01 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 ला010 एक ही संयुंक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उपरोंक्त विवादित आराजी सायला के दादा रामसहाय की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है। उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें सायला को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो जाते है। गैरसायल सख्या 1 को विवादित आराजी सायला

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दादा रामसहाय से विरासत में प्राप्त होने से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज विवादित आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है जिस पर सायला काविज हकर काश्त करती चली आ रही है। विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों पर विपरीत असर पडता है। सायला विवादित आराजी में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से 1/6 हिस्सा की आराजी को अपने नाम कराना चाहती है। सायला ने गैरसायल से विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी को अपने नाम कराने वावत कहा तो गैरसायल संख्या 1 ने इन्कार कर दिया। गैरसायल संख्या 1 हाल राजस्व रेकार्ड की आड में विवादित आराजी में सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने व गेरसायल संख्या 2 से मिलकर रहन वय करने की धमकी देता है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयााव हो गये तो सायला को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 583, 584, 592, 593, किता 4 रकवा 3.45 हे. खसरा नम्बर 619 रकवा 1.66 हे. ग्राम डयोठाना में सायला के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व रहन वय हिवा आदि द्वारा दीगर व्यक्तियों को मुन्तकिल ना करने वावत पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 मय अधिवक्ता हाजिर आया।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायला के दादा रामसहाय की पैदा कर्दा आराजी है। सायला के दादा रामसहाय

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रसायल संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। गैरसायल संख्या 1 सायला का पिता
विवादित आराजी सायला के दादा की पैदा कर्दा आराजी होने से सायला को
वादित आराजी में बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी
रसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जिस कारण गैरसायल संख्या 1 विवादित
राजी को रहन वय करना चाहता है सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है।
अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द
किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान
अधिवक्ता सायला की वहस पर मनन किया। सायला को अपने प्रार्थना पत्र को सावित
करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान
अधिवक्ता सायला की वहस पर मनन किया। सायला का कथन कि विवादित आराजी
सायला के दादा रामसहाय की पैदा कर्दा आराजी है जो गैरसायल संख्या 1 को विरासत
में प्राप्त हुई है। पैत्रिक आराजी में सायला को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके
है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व विद्वान अधिवक्ता सायला की वहस पर
मनन करने पर विवादित आराजी पैत्रिक हो और इसमें सायला का जन्म से ही हक वो
अधिकार हो ये तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य आने पर तय किये जावेगें। लेकिन सायला ने
प्रार्थना पत्र अपने पिता गैरसायल कैलाशचन्द के विरूद्व पेश किया है। विवादित आराजी
पैत्रिक आराजी प्रतीत होती है जिसमें सायला के हक हिस्सा व अधिकार व कब्जे का
अनुमान किया जाता है। गैरसायल ने यदि सायला को विवादित आराजी से वेदखल कर
दिया या जवरन कब्जा कर लिया या दीगर लोगों को विकय कर दिया तो अपार हानि व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सुविधा सायला को होना संभव है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति ने वाली क्षति तीनों विन्दु सायला के पक्ष में प्रवल है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 583, 584, 592, 593, किता 4 रकवा 3.45 हे. खसरा नम्बर 619 रकवा 1.66 हे. ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में सायला के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें रहन वय ना करे तथा मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 29.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner